A6

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

| मिसल संख्याः | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 175 / प्रा.पत्र / 2017 | 13.04.2017 | 24.07.2019 |

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली, जिला बून्दी।

– प्रार्थी

बनाम

राधेश्याम आ. नारायण जाति नाई निवासी सावतगढ, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 15.06.1976 निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से – एकपक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थी राधेश्याम आ. नारायण जाति नाई निवासी सावतगढ़ को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन खसरा नं. 111 रकबा 05 बीघा ग्राम नीमोद, तहसील हिण्डोली को निरस्त करवाने हेतु इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी व अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गई।

बहस पेरोकार सुनी गई।

अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नहीं होने से दिनांक 11.07.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क पेश किये कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। भूमि का बेचान कर दिया है। आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी को दिनांक 15.06.1976 को ग्राम नीमोद में खसरा

अति. जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

नं. 111 रकबा 05 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण कोरम में आवंटन किया गया है। आवंटी भूमिहीन कृषक होने से बाद जॉच पटवारी रिपोर्ट के अनुसार आवंटन किया गया है। आवंटन के पश्चात् आवंटी को दिनांक 16.06.1976 को दो गवाह के समक्ष आवंटित भूमि पर कब्जा दिया गया है। कब्जा रिपोर्ट के पुश्त पर नजरी नक्शा तरमीम हो रहा है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि आवंटी ने 11–12 वर्ष पूर्व भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दिया गया है। आवंटन वर्ष 1976 का है जिसको 44 वर्ष हो चुके है। आवंटन के पश्चात आवंटी को 10 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। आवंटित भूमि पर अन्य का कब्जा काश्त होने बाबत् भी प्रार्थी ने राजस्व रेकार्ड के कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। जिससे अन्य व्यक्ति का कब्जा साबित होता हो। अप्रार्थी को पूर्ण कोरम में विधिपूर्ण तरीके से आवंटन किया जाकर नियमानुसार कब्जा दिया गया है एवं गैर खातेदार दर्ज किया गया है। जिसमें कोई विधि दोष प्रमाणित नहीं होता है। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात आवंटी स्वतः ही खातेदार कृषक बन जाता है। यदि अन्य किसी व्यक्ति का मौके पर आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त है तो वह उसकी आवंटित भूमि पर अतिक्रमण की हैसियत से काबिज है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी को किया गया आवंटन दिनांक 15.06.1976 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली नियमानुसार फैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बूंदी (राज0)